निर्देश संख्या 51

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

सत्रहवाँ तल, जवाहर व्यापार भवन,
(एस. टी. सी. बिल्डिंग), टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001

फ. नो. ए -110018 /01 /2021-सी.ए. क्यू. एम./5163 -91 **दिनांक: 17.12.2021**

विषय: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 12 के निर्देशों के तहत एन. सी. आर. में निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों के सम्बन्ध में |

1. जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 12 (2) (xi) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग ने दिनांक 16.11.2021 के निर्देश संख्या 44 के तहत अन्य बातों के साथ- साथ धूल नियंत्रण उपायों में से एक निर्देश दिया कि

"एन. सी. आर. राज्य और जी. एन. सी. टी. डी. सुनिश्चित करेंगे कि :-

(i) एन.सी. आर. में निम्नलिखित , परियोजनाओं के सिवाय , निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियाँ 21 नवंबर, 2021 तक बन्द की कर दी जायेगी :-

(क) रेल सेवायें / रेल स्टेशन |

(ख) मेट्रो रेल कारपोरेशन सेवायें, स्टेशनों सहित |

(ग) हवाई अड्डे और अन्तर्राज्य बस टर्मिनल (आई. एस. बी. टी.) |

(घ) राष्ट्रीय सुरक्षा/रक्षा सम्बन्धी गतिविधियाँ/राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं, लेकिन निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों एवं आयोग के निर्देशों के अनुपालन सहित धूल नियंत्रण मानदंडों का कड़ाई के साथ अनुपालन किया जाएगा|"

2. जबकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 24.11. 2021 के आदेश के तहत अन्य बातों के साथ-साथ निर्देश दिया: -

" एक अंतरिम उपाय के रूप में और अगले आदेशों तक एन. सी. आर. में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबन्ध दुबारा लगाया जाता है जिसके तहत निम्नलिखित दो शर्तों होंगी : -

" (i) निर्माण सम्बन्धी गैर-प्रदूषक गतिविधियाँ जैसे प्लंबिंग कार्य, आतंरिक सजावट बिजली का काम, बढ़ई का काम करने की अनुमति होगी|

(ii) राज्य उस धन का प्रयोग करेंगे जिसे निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए उपकार के रूप में एकत्र किया गया है | जो कि निर्माण गतिविधियों के प्रतिबंधित होने की अवधि के दौरान श्रमिकों के गुज़ारा के लिए दिया जाता है और सम्बंधित श्रेणी के श्रमिकों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत अधिसूचित वेतन दिया जाए |"

3. जबकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के तहत इस सम्बन्ध में दिनांक 27.11.2021 को आयोग ने एक व्याख्यात्मक आदेश जारी किया था|

4. जबकि, उक्त निर्देशों के पारित होने के समय और उसके बाद में दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक आम तौर पर "बहुत ख़राब " से "गंभीर" श्रेणी में ए.क्यू. आई. था |

5. जबकि, निर्माण गतिविधियों से प्रतिबन्ध हटाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डेवेलपर्स एन्ड बिल्डर्स फोरम की ओर से आई. ए. सं०. 159241/2021 और 159241 /2021 और एम/ एस. अभिषेक कॉन्ट्रैक्टर्स की ओर से आई. ए. . सं० 159206/2021 और 159208/2021 दायर की गई |

6. जबकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सी) सं०.1135 /2020' 'आदित्य दुबे (नाबालिग) एवं अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य' में दिनांक 10 /12/2021 के आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्देश पारित किया: -

" हम आयोग को निर्देश देते हैं कि वे हमारे पिछले आदेश या आयोग के अन्यथा आदेश द्वारा दिए गए आदेशों से लागू की गयी शर्तों में छूट देने के लिए विभिन्न उद्योगों और संगठनों के अनुरोध की जांच करें।"

"हम उम्मीद करते हैं की आयोग इस मामले में ध्यान देगा और एक सप्ताह के अन्दर उचित कार्रवाई करेगा । "

7. जबकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 10.12.2021 के आदेश के सम्मानीय अनुपालन में दिनांक 13.12.2021 एवं 14.12.2021 को आयोजित आयोग की बैठकों की श्रृंखला में मध्यस्थों के साथ विस्तृत विचार विमर्श हुआ ।

8. जबकि, आयोग ने जारी किये गए विभिन्न निर्देशों के बारे में उन संघों /संगठनों/व्यक्तियों के विचारों और चिंताओं को सुना ।

9. जबकि, उपरोक्त संघों एवं परियोजना प्रस्तावकों ने निर्माण कामगारों द्वारा सामना की जानेवाली परेशानियों को ध्यान से रखते हुए लगाये गये प्रतिबंधों को आसान बनाने निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों से आम प्रतिबन्ध हटाने के लिए अनुरोध किया और यह तर्क दिया कि निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों से वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान नहीं है ।

10. जबकि, संघ द्वारा किया गया एक और निवेदन यह था कि कुछ इकाइयाँ आवश्यक और आपातकालीन सेवायें प्रदान करने में लगी हुई हैं और उनके निरंतर बंद रहने से दिल्ली-एन. सी. आर. में बुनियादी ढाँचे में कमी और व्यवधान उत्पन्न होगा ।

11. जबकि, निर्माणकार्य में लगे निर्माण श्रमिकों को राहत देने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 24.11.2021 के आदेश के तहत अन्य बातों के साथ-साथ आदेश दिया कि:

"(ii) राज्य उस धन का प्रयोग करेंगे जिसे निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए उपकार के रूप में एकत्र किया गया है । जो कि निर्माण गतिविधियों के प्रतिबंधित होने की अवधि के दौरान श्रमिकों के गुज़ारा के लिए दिया जाता है और सम्बंधित श्रेणी के श्रमिकों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत अधिसूचित वेतन दिया जाए।"

12. जबकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 03. 12. 2021 के आदेश के तहत एन.सी. टी. - दिल्ली में 07 नए कोविड अस्पतालों के निर्माण की अनुमति दी है, जिसमें वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा ।

13. जबकि, आई. आई. टी. कानपुर (2016) की रिपोर्ट नामतः: "दिल्ली में वायु प्रदुषण और ग्रीन हाउस गैसों पर व्यापक अध्ययन " के अनुसार निर्माण एवं विध्वंश गतिविधियां दिल्ली में अक्सर होती रहती हैं और "यह श्रोत पी. एम. 10 उत्सर्जन के योगदान में तीसरा सबसे बड़ा है और पूरे वर्ष महत्वपूर्ण ढंग से काम करता है।"

14. जबकि, आई. आई. टी. कानपुर, अध्ययन का अनुमान है कि दिल्ली में निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों का उत्सर्जन भार 5167 किलो प्रतिदिन और 1292 किलो प्रतिदिन क्रमश: पी. एम. 10 और पी. एम. 2.5 के सम्बन्ध में है;

15. जबकि, "दिल्ली एन. सी. आर. में पी. एम. 10 और पी. एम. 2.5 के प्रमुख श्रोतों की पहचान में श्रोत प्रभाजन "अगस्त, 2018 का अध्ययन जो ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इंडिया (ए.आर. ए.आई.) और दी एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट (टी. इ. आर. आई.) द्वारा तैयार किया गया, जिसके अनुसार, धूल भरे श्रोतों से पी. एम. 10 का योगदान (उदाहरण - सड़क, निर्माण और मिट्टी की धूल) सर्दियों के मौसम में 23 से 31 प्रतिशत के बीच महत्वपूर्ण था । इसी तरह दिल्ली- शहर एवं एन. सी. आर. टाउन में सर्दियों में धूल भरे श्रोतों में पी. ए. म. 2.5 का योगदान 15% था ।

16. जबकि, दिल्ली शहर एवं एन. सी. आर. के शहरी क्षेत्रों में निर्माण एवं विध्वंश गतिविधयां अक्सर अधिक मात्रा में होती रहती है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण का एक बड़ा श्रोत है और पी. एम. 2.5 एवम पी.एम. 10 के स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है |

17. जबकि, दिल्ली- एन.सी.आर. में पिछले कुछ दिनों से हवा की गुणवत्ता "बहुत ख़राब" श्रेणी के ऊपरी किनारे पर रही है और विभिन्न क्षेत्रों में जो वायु प्रदुषण में योगदान देते है उन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है|

18. जबकि, वायु प्रदुषण को नियंत्रित कराने के लिए दो अन्य बड़े क्षेत्रों जैसे उद्योग और परिवहन क्षेत्र में अभी भी प्रतिबन्ध लगे हुए हैं और एन. सी. आर. में वायु प्रदूषण पर विचार करते समय यह उचित एवं वांछनीय है कि चरण बद्ध दृष्टि कोण से निर्माण क्षेत्र में प्रतिबंधों का पालन किया जाए |

19. जबकि, आवश्यक/आकस्मिक/ महत्वपूर्ण सेवायें जैसे, रेलवे, मेट्रो रेल, हवाई जहाज, आई. एस. बी. टी., राष्ट्रीय महत्व की परियाजनाओं और कोविड -19 अस्पतालों को निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबन्ध से छूट दी जाए|

20. अब, इसलिए आवश्यक/आकस्मिक/महत्वपूर्ण सेवाओं को मज़बूत करने की आवश्यकता पर विचार करने के लिए और वायु प्रदूषण पर विचार करने के लिए निर्देश संख्या 44 दिनांक 16 /11/2021 और इस सम्बन्ध में आयोग के दिनांक 27.11.2021 के आदेश के मद्देनज़र तत्काल प्रभाव से निर्देश दिए जाते हैं कि: -

(1) एन. सी. आर. में परियोजनाओं की निम्नलिखित श्रेणियों को छोड़कर निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी:-

(क) रेलवे सेवायें /रेलवे स्टेशनों

(ख) स्टेशनों सहित मेट्रो रेल सेवायें ˙

(ग) हवाई अड्डे और अन्तर्राज्य बस टर्मिनल (आई. एस. बी. टी.)

(घ) राष्ट्रीय सुरक्षा/रक्षा सम्बन्धी गतिविधियाँ/राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं

(ड०) अस्पताल/नर्सिंग होम/ स्वस्थ्य देखभाल सुविधाएं

(च) लम्बी सार्वजनिक परियोजनाएं जैसे राजमार्ग, सड़कें, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज, बिजली पारेषण, पाइपलाइन आदि|

(छ) स्वच्छता और सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाएं जैसे सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र, पाइपलाइन आदि |

(झ) विशेष सहायक गतिवधियां जो कि उपरोक्त श्रेणी की परियोजनाओं के लिए अनुपूरक हो |

(II) उपरोक्त छूट आयोग द्वारा समय- समय पर जारी किये गए निर्देशों के अनुपालन सहित सी एन्ड डी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, धूल नियंत्रण मानदंडों का कड़ाई से पालन करने के अधीन है |

(III) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका संख्या 1135/2020 "आदित्य दुबे (नाबालिग) एवं अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य" में दिनांक 24.11.2021 के आदेश के तहत यथा निर्देशित निर्माण कार्य से सम्बंधित गैर-प्रदूषण गतिविधियां जैसे प्लंबिंग कार्य, आतंरिक सजावट, विद्युत् कार्य और बढ़ई का काम करने की अनुमति जारी रहेगी|

(iv) उपरोक्त निर्देश आयोग द्वारा अगली समीक्षा किए जाने तक, वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान और वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार होने तक लागू रहेंगे|

(v) आयोग के उपरोक्त निर्देशों का सभी सम्बंधित द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा |

हस्ता ०
अरविन्द नौटियाल
(सदस्य सचिव)
दूरभाष सं० : 011 - 23701197
ई-मेल: arvind.kumar@nautiyal@gov.in

सेवा में,

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
2. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार
3. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार
4. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

प्रतिलिपि :

5. सचिव, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
6. अध्यक्ष, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
7. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
8. अध्यक्ष, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

10.अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

11.डेवेलपर्स एन्ड बिल्डर्स फोरम 3/7, सर्वप्रिय विहार, नई दिल्ली

12. एम. /एस. अभिषेक कॉन्ट्रैक्टर्स 208, द्वितीय तल , आशीर्बाद काम्प्लेक्स, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली – 110001|

निम्नलिखित को भी प्रतिलिपि प्रेषित –

13. अध्यक्ष एवं सभी सदस्य, सी. ए. क्यू.एम.

हस्ता ०
(**अरविन्द नौटियाल**)
सदस्य सचिव